न्यायालय अपीलीय अधिकारी एवं जिला कलक्टर अलवर(राज.)

अपील संख्या 12/21/2022

कम्प्यूटर आई.डी. क्रमांकः 2022/170

अपीलार्थी — **बनाम** — **प्रत्यर्थी**

श्री हंसराम यादव पुत्र श्री मंगलराम,
नि0 ग्राम–कल्याणपुरा, तहसील–बहरोड, जिला–अलवर
हाल नि. वार्ड नं.3, मु.पो. बनेठी, तहसील–कोटपूतली,
जिला–जयपुर

राज्य लोक सूचना अधिकारी एवं
अतिरिक्त जिला कलक्टर (द्वितीय) अलवर

प्रवेश तिथि :: 11.04.2022

प्रथम अपील अन्तर्गत धारा 19(1) सूचना का अधिकार अधिनियम 2005

निर्णय

दिनांकः 10.05.2022

1. उभयपक्ष अनुपस्थित, प्रत्यर्थी पक्ष की ओर से जवाब नोटिस प्राप्त हुआ जिसे अभिलेख पर लिया गया।
2. हमने पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजों का विशुद्ध परिशीलन किया।
3. अपीलार्थी ने सूचना आवेदन दिनांकः 15.12.2021 के माध्यम से वर्ष 2011 से दिनांकः 15.12.2021 तक सम्पूर्ण जिले में/अधीनस्थ नाम शुद्धीकरण के आये मामलों कं संबंध में सूचना चाही गई थी जिसके परिप्रेक्ष्य में प्रत्यर्थी द्वारा उनके पत्रांकः 10 दिनांकः 12.01.22 के माध्यम से किए गए विनिश्चय के आलोक में अपीलार्थी द्वारा तहसीलदार बहरोड को सूचना आवेदन दिनांकः 14.02.2022 पेश किया गया है।
4. उक्त सूचना आवेदन दिनांकः 14.02.2022 के परिप्रेक्ष्य में तहसीलदार बहरोड द्वारा पत्रांकः 277 दिनांकः 22.02.2022 के माध्यम से किए गए विनिश्चय के विरूद्ध अपीलार्थी द्वारा हस्तगत अपील इस न्यायालय को संस्थित कराई गई है।
5. प्रथम अपील के परिप्रेक्ष्य में प्रत्यर्थी को नोटिस जारी कर तलब किया गया। प्रत्यर्थी की ओर से कोई उपस्थित नहीं हुआ किन्तु वांछित सूचना के संबंध में पत्रांकः 943 दिनांकः 25.04.22 के माध्यम से मय संलग्नक, जिसकी प्रति उपखण्ड अधिकारी/तहसीलदार बहरोड एवं अपीलार्थी को भी पृष्ठांकित की गई है, जवाब नोटिस प्राप्त हुआ जिसे अभिलेख पर लिया गया।
6. अपीलार्थी द्वारा अपील में आक्षेपित तथ्यों व प्रथम सूचना आवेदन में वांछित सूचना के परिप्रेक्ष्य में प्रत्यर्थी द्वारा प्रस्तुत जवाब/सूचना पर गौर/मनन किया गया।
7. उक्त अपील मुख्यतः तहसीलदार बहरोड के विनिश्चय–पत्र सं. 277 दिनांकः 22.02.2022 के विरूद्ध पेश की गई है। तहसीलदार बहरोड द्वारा उक्त विनिश्चय में उनके क्षेत्राधीन अभिलेखीय सूचना प्रदत्त की जा चुकी है।
8. उक्त आलोक में प्रत्यर्थी एवं तहसीलदार बहरोड द्वारा किया गया विनिश्चय/देय सूचना उचित एवं पर्याप्त है। अपील निर्बल है।
9. अतः **अपील अस्वीकार की जाकर खारिज** की जाती है।
10. आदेश की प्रति उभय पक्ष के साथ–साथ तहसीलदार बहरोड को भी प्रेषित हो।
11. आज दिनांकः 10.05.2022 को निर्णय लिखा जाकर खुले न्यायालय में सुनाया तथा हस्ताक्षरित एवं मुद्रांकित किया गया। ।

(शिवप्रसाद नकाते)
अपीलीय अधिकारी एवं
जिला कलक्टर, अलवर (राज.)